

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक 2631/35-1, दिनांक: हाथरस: फरवरी: 28, 2023

सेवामें,

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़

विषय:-

कार्योपरान्त स्वीकृति के अन्तर्गत जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी 0 03 चैनेज 2.243 की बांयी पटरी पर खसरा सं०-10 में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु 0.069777 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

उ० प्र० शासन की पत्र सं०-107/81-2-2023-800(69)/2022, दिनांक 20.02.2023

महोदया,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में कार्योपरान्त स्वीकृति के अन्तर्गत जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी 0 03 चैनेज 2.243 की बांयी पटरी पर खसरा सं०-10 में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु 0.069777 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रेषित प्रस्ताव में सन्दर्भित पत्र द्वारा वॉछित सूचना निम्न प्रकार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Sl.No.	Observation	Reply
1	विषयगत कार्योपरान्त स्वीकृति के प्रकरण में दोषी संस्था के विरुद्ध कृत कार्यवाही का विवरण दिया गया है किन्तु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण/प्रस्ताव नहीं दिया गया है। कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण/प्रस्ताव शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत 04 बिन्दु की आख्या संलग्न हैं। (संलग्न:-1)

भवदीय,

(डा० चन्द्रप्रताप सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक 2631/35-1 दिनांक

प्रतिलिपि- मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कॉर्पो० लि०, 65/2 संजय प्लेस, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० चन्द्रप्रताप सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।